न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, **RAS**
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 104 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 122

प्रकरण संख्या : 105 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023 / 123

राजस्थान राज्य जरिये उम्मेदमल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री नरसीग दास पुत्र श्री गोकुल दास निवासी निम्बा खेडा, अरबा चौक बाडमेर 344026 (विक्रेता) मैसर्स– मॉ भगवती केक, **PN 016, KNN307 Ashok Vatika Yojna Jodhpur** (राज) फोन नं. 9726458621
2. (मालिक)श्री कमाल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री आत्मज लाख सिंह निवासी–68, चाणक्या पुरी नगर, पाला रोड जोधपुर 342008

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10–03–2026

श्री उम्मेदमल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **12–11–2024** को दो प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 पेश किया गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि दोनो प्रकरणो के तथ्य एवं निर्धारण [illegible] बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति [illegible] पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दोनो प्रकरणो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक **01–04–2024** को पुलिस थाना सदर बांसवाडा की सूचना पर नकली मावा परिवहन की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान **गजराज बस (बस नंबर ए.आर. 06 ए 8861) जो कि उदयपुर रोड की तरफ से आ रही थी को रुकवाकर निरीक्षण करने पर बस की डिक्की में 20 कार्टून, प्रत्येक कार्टुन में 18 डिब्बे (माँ भगवती केक) प्रत्येक में 2 किलोग्राम कुल 720 किलोग्राम रखा हुआ था। श्री नरसीग दास पुत्र श्री गोकुल दास निवासी निम्बा खेडा, अरबा चौक बाडमेर मौके पर मौजुद था। जिस पर निर्माणकर्ता फर्म मैसर्स– मॉ भगवती केक, PN 016, KNN307 Ashok Vatika Yojna Jodhpur** लिखा हुआ था। सभी पैकेटो को खोलने पर, देखने पर, चखने पर व सुंधने पर सर्वप्रथम मिलावटी एवं खाने योग्य नही होना प्रतित हुआ। खाने योग्य नही होने व मिलावटी होना प्रतित होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **2–2 किलोग्राम माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres) वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 300–300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की।** जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **2–2 किलोग्राम माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres) को पृथक–पृथक चार–चार साफ–सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में प्रिजर्वेटिव फॉर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से एयर टाईड बन्द किया तथा अभिहित अधिकारी बॉसवाडा से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक W 1783 चार नमुना भाग पर एवं पेपर स्लिप क्रमांक W 1782 अन्य चार** भाग पर चिपकाकर आठ नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिख कर स्वयं हस्ताक्षर कर समस्त नमूनो को अपने कब्जे में लिया। **आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर हस्त लिखित मौका फर्द तैयार कर मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही दर्शित कर नमुना लेने के पश्चात माल को जनहित में मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में थाना परिसर के [illegible] खुदवाकर नियमानुसार कार्यवाही कर नष्ट करवाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

कब्जाशुदा समस्त नमुना भागो में से एक–एक नमूना भाग **(W 1783, W 1782)** मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में में सील बन्द कर तथा नमुने का चौथा भाग मय फार्म नंबर 6 की प्रति के सील मोहर कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/192, 195 दिनांक 23.04.2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 440, 441 दिनांक 12.04.2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना **(W 1783, W 1782)** जांच हेतु क्रय किया गया **माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres)** के नमूने Contains extraneous matter & Contravences to Regulation under section 3(1)(i) of FSSA 2006 होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 एवं 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

दोनो प्रकरण दिनांक 14–11–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 17.06.2025 को अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं. 2 दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहा। दिनांक 08.09.2025 को अप्रार्थी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित नोटिस डाक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार दिनांक 15.09.2025 को अप्रार्थी सं. 1 के दाहोद (गुजरात) स्थित वर्तमान पते पर पहुचा। अप्रार्थीगण दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 10.03.2026 को अप्रार्थीगणो के नाम से बार–बार, रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि दिनांक **01–04–2024** को पुलिस थाना सदर बांसवाडा की सूचना पर नकली मावा परिवहन की सूचना पर नाकाबंदी क[illegible] **राजराज बस (बस नंबर ए.आर. 06 ए 8861)** जो कि उदयपुर रोड की [illegible] को रूकवाकर निरीक्षण करने पर बस की डिक्की में 20 कार्टून, प्रत्येक कार्टुन में 1[illegible] डिब्बे (माँ भगवती केक) प्रत्येक में 2 किलोग्राम कुल 720 किलोग्राम रखा हुआ था। श्री नरसीग दास पुत्र श्री गोकुल दास निवासी निम्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

खेडा, अरबा चौक बाडमेर मौके पर मौजुद था। जिस पर निर्माणकर्ता फर्म मैसर्स– माँ भगवती केक, **PN 016, KNN307 Ashok Vatika Yojna Jodhpur** लिखा हुआ था। सभी पैकेटो को खोलने पर, देखने पर, चखने पर व सुंधने पर सर्वप्रथम मिलावटी एवं खाने योग्य नही होना प्रतित हुआ। खाने योग्य नही होने व मिलावटी होना प्रतित होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **2–2 किलोग्राम माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres)** वास्ते नमुना **जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 300–300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की।** जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **2–2 किलोग्राम माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres) को पृथक–पृथक चार–चार साफ–सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में प्रिजर्वेटिव फॉर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से एयर टाईड बन्द किया तथा अभिहित अधिकारी बॉसवाडा से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक W 1783 चार नमुना भाग पर एवं पेपर स्लिप क्रमांक W 1782 अन्य चार** भाग पर चिपकाकर आठ नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिख कर स्वयं हस्ताक्षर कर समस्त नमूनो को अपने कब्जे में लिया। **आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर हस्त लिखित मौका फर्द तैयार कर मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही दर्शित कर नमूना लेने के पश्चात् माल को जनहित में मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में थाना परिसर के पास गढ्ढा खुदवाकर नियमानुसार कार्यवाही कर नष्ट करवाया गया।**

कब्जाशुदा समस्त नमुना भागो में से एक–एक नमूना भाग **(W 1783, W 1782)** मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में में सील बन्द कर तथा नमुने का चौथा भाग मय फार्म नंबर 6 की प्रति के सील मोहर कर [illegible] ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य [illegible]कि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 192, 195 दिनांक 23.04.2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 440, 441 दिनांक 12.04.2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना **(W 1783, W 1782)** जांच हेतु क्रय किया गया **माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres)** के नमूने Contains extraneous matter & Contravences to Regulation under section 3(1)(i) of FSSA 2006 होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 एवं 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। पत्रावलीयों में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 192, 195 दिनांक 23.04.2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 440, 441 दिनांक 12.04.2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना **(W 1783, W 1782)** जांच हेतु क्रय किया गया **माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres)** के नमूने Contains extraneous matter & Contravences to Regulation under section 3(1)(i) of FSSA 2006 होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरणों का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत Contains extraneous matter & Contravences to Regulation पाया गया **माँ भगवती केक (Milk, Skimmed Milk Powder, Refined oil Emuisifier and satabilizeres)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 54 एवं 58 में निर्धारित है। आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री नरसीग दास पुत्र श्री गोकुल दास निवासी [illegible] अरबा चौक बाडमेर 344026 (विक्रेता) मैसर्स– मॉ भगवती केक, PN 016, KNN307 Ashok [illegible] Yojna Jodhpur** (राज) को रूपये 20,000 / – (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), **(मालि[illegible] कमाल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री आत्मज लाख सिंह निवासी–68, चाणक्या पुरी नगर, पाला रोड जोधपुर 342008** को रूपये 30,000 / – (अक्षरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

रू. तीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10—03—2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested